राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 41/2021 अपील

लादी पत्नि मांगु कुम्हार, निवासी नई परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा छाऊ पत्नि नानूराम कुम्हार, निवासी नई परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. उगम लाल पुत्र बालु कुम्हार, निवासी नई परासोली
2. कन्हैया लाल पुत्र बालु कुम्हार, निवासी नई परासोली
3. मदन लाल पुत्र बालु कुम्हार, निवासी नई परासोली
4. मोहन लाल पुत्र बालु कुम्हार, निवासी नई परासोली
5. जमनी बेवा बालु कुम्हार, निवासी नई परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नामान्तकरण संख्या 1024 ग्राम परासोली पटवार हल्का परासोली भू.अ.नि.क्षे. शम्भूगढ़ तहसील आसीन्द निर्णय दिनांक 27.08.2020 अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

1. श्री रामस्वरूप जोशी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 06 की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.02.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत तहसीलदार आसीन्द के नामान्तरकरण संख्या 1024 दिनांक 27.08.2020 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम परासोली में स्व. बालु पिता भोजा कुम्हार निवासी नई परासोली तहसील आसीन्द के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खाता संख्या 321 की आराजी नम्बर 28 रकबा 0.2100 हैक्टेयर चाही द्वितीय स्थित है, जिसमें स्व. बालु कुम्हार का 2/3 हक हिस्सा निहित होने से स्व. बालु कुम्हार ने अपीलार्थीगण के हक में एक वसीयतनामा दिनांक 01.03.2004 को निष्पादित कर उप पंजीयक आसीन्द के यहाँ उक्त वसीयतनामा पंजीबद्व कराया, जो उपपंजीयक आसीन्द के अभिलेख में पुस्तक संख्या 03 के जिल्द संख्या 01 पृष्ठ संख्या 05 कम संख्या 1 / 2004 पर पंजीबद्व है। स्व. बालु पिता भोजा कुम्हार मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थीगण द्वारा स्व. बालु पिता भोजा कुम्हार की अपीलार्थीगण के हक में निष्पादित वसीयतनामा में अंकित आराजियात का नामान्तरण उनके नाम कराने हेतु तहसीलदार आसीन्द के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार आसीन्द द्वारा दिनांक 29.07.2020 को हल्का पटवारी को आदेशित करते हुए अपीलार्थीगण के हक में पंजीकृत वसीयतनामें में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया तत्पश्चात्

अति. जिला कलक्टर

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम ध
5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन
शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाव
प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाव
अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुम
करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं क
दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम परासोली में स्व. बालु पिता भोजा कुम्हार निवासी नइ
परासोली तहसील आसीन्द के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खाता संख्या 321 की आराजी
नम्बर 28 रकबा 0.2100 हैक्टेयर चाही द्वितीय स्थित है, जिसमें स्व. बालु कुम्हार का 2/3
हक हिस्सा निहित होने से स्व. बालु कुम्हार ने अपीलार्थीगण के हक में एक वसीयतनामा
दिनांक 01.03.2004 को निष्पादित कर उप पंजीयक आसीन्द के यहाँ उक्त वसीयतनामा
पंजीबद्ध कराया। तहसीलदार आसीन्द द्वारा दिनांक 29.07.2020 को हल्का पटवारी को
आदेशित करते हुए अपीलार्थीगण के हक में पंजीकृत वसीयतनामें में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत
करने का आदेश पारित किया गया तत्पश्चात् हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 29.07.2020 को
ग्राम परासोली पहूँच आराजी संख्या 28 रकबा 0.2100 हैक्टेयर में से 2/3 हिस्से का
रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 01.03.2004 को अपीलार्थीगण के हक में होने से मौका पर्चा
तैयार किया गया तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजियात पर किसी भी
न्यायालय का वाद विचाराधीन नहीं होना भी अंकित है। बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय
ने तथ्यों एवं विधि के विपरीत जाकर अपीलार्थीगण के हक में निष्पादित पंजीकृत
वसीयतनामा की भूमि का रेस्पोडेन्ट के नाम कर दिया जो निरस्तनीय हैं। निवेदन है कि
अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में अधिनस्थ न्यायालय
द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2020 को फैसल नामान्तरण संख्या 1024 को निरस्त
फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 06 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में
बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 1024 पारित करने में कोई त्रुटि
नही की है, विधि सम्मत नामान्तरकरण पारित किया गया हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की
अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर वसीयतकर्ता बालू पिता भोजा कुम्हार निवासी परासोली के नाम दर्ज आराजी नं. 28 रकबा 0.21 हैक्ट. में से 2/3 हिस्से का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम खोले जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का परासोली तहसील आसीन्द से उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर जांच रिपोर्ट तलब की गयी। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 24.08.2020 अनुसार मृतक खातेदार बालू पिता भोजा कुम्हार को उक्त आराजी राज्य सरकार द्वारा आवंटित हुयी थी। उक्त आराजी पर किसी न्यायालय का वाद विचाराधीन नहीं हैं। मृतक खातेदार द्वारा इस वसीयत के अतिरिक्त अन्य कोई वसीयत होना नही पाया गया।

पटवार हल्का रिपोर्ट के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण की सुनवायी किये बिना एवं बिना सभी दस्तावेजात की जांच परीक्षण कर उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1024 पारित किया जो पूर्णतया विधि विरूद्व एवं त्रूटिपूर्ण प्रतीत होता हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर, नामा0 संख्या 1024 को अपास्त किया जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को समस्त दस्तावेजात का परीक्षण कर एवं अपीलार्थीगण की सुनवायी की जाकर अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण संख्या 1024 दिनांक 27.08.2020 को निरस्त किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक से 02 माह में अपीलार्थीगण की पूर्ण सुनवायी की जाकर एवं मृतक बालू पिता भोजा कुम्हार द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा का पूर्ण परीक्षण किया जाकर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा